राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–C) विभाग

क्रमांक प. 3(25)गृह–6/2006

जयपुर, दिनांक 03.05.07

–: कार्यालय आदेश :–

राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया है कि इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 9(23) गृह–5/2005 दिनांक 3.10.2005 द्वारा लोक प्राधिकरणों/ राज्य लोक सूचना अधिकारियों के सम्बध में प्रतिपादित व्यवस्था से सूचना प्राप्त करने में अपेक्षित सुगमता नहीं हो रही है। इसी प्रकार परिपत्र क्रमांक प. 9(23) गृह–5/2005 दिनांक 11.08.2006 द्वारा सुचारू व्यवस्था बाबत दिशानिर्देश प्रदान किये गये थे जिसमें प्रत्येक कार्यालय में सूचना पट्ट स्थापित करने की व्यवस्था भी प्रतिपादित की गयी थी। लोक प्राधिकरणों/राज्य लोक सूचना अधिकारियों/अपील अधिकारियों बाबत परिवर्तित व्यवस्था लागू करने हेतु, उपरोक्त परिपत्र दिनांक 03.10.05 को अधिक्रमित करते हुए एवं परिपत्र दिनांक 11.08.06 में सूचना पट्ट संबंधी व्यवस्था को संशोधित करने हेतु निम्न दिशा निर्देश प्रचलित किये जा रहे है :–

1.1 शासन सचिवालय हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी व अपील अधिकारी परिशिष्ठ –"1" के अनुसार होंगें।

1.2 राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी परिशिष्ठ –"2" के अनुसार होगें।

1.3 पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, अन्य राजकीय उपक्रमों तथा जयपुर विकास प्राधिकरण/ नगर सुधार न्यासों एवं राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं के लिये लोक प्राधिकरण, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी परिशिष्ठ –3 के अनुसार होंगें।

1.4 प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य अधिकारी/अधिकारियों को भी राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जा सकेगा। परन्तु ऐसी नियुक्ति दि: 31.05.07 तक की जाकर सूचना वेबसाइट पर रखा जाना आवश्यक होगा।

सभी लोक प्राधिकरणों से अपेक्षित है कि वे निम्नानुसार कार्यवाही शीघ्रताशीघ्र निर्धारित समयावधि में अवश्य पूरा करा लेवें :–

2.1 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (बी) के अनुसार सूचना प्रकाशित व पूर्व में प्रकाशित सूचनाओं को अदिनांक करना (30.6.07 तक)

2.2 लोक प्राधिकरण द्वारा आम जन की सुविधानुसार सूचनाऐं उपलब्ध कराने एवं सूचनाओं बाबत आवेदन पत्र प्राप्त करने की सूचना हेतु सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना। (31.5.07 तक)

2.3 प्रत्येक राज्य लोक सूचना अधिकारी का पदनाम, पता, आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए उसके कार्यालय में निर्धारित कक्ष का ब्यौरा शासन उप सचिव, गृह (समन्वय) कमरा नं. 1112 मुख्य भवन शासन सचिवालय, जयपुर (ई–मेल पता yadav_jagroop@yahoo.co.in) को प्रस्तुत करना ताकि वेबसाईट की सूचना तदनुसार संशोधित की जा सके। (14.05.07 तक)

2.4 लोक प्राधिकरण के अधीन समस्त कार्यालयों में गृह विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 9 (23) गृह–5/2005 दिनांक 11.08.2006 (परिपत्र वेबसाईट पर उपलब्ध है।) के अनुरूप संलग्न परिशिष्ठ – "4" अथवा "5" द्वारा निर्धारित प्रपत्र (जो भी लागू हो) के अनुसार सूचना पट्ट लगाना एवं निर्धारित प्रपत्रानुसार वांछनीय पंजिकाओं का संधारण व आदिनांकीकरण। (01.8.07 तक)

433 21

2.5 राज्य लोक सूचना अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सूचना के अधिकार के तहत प्रदान किये जाने वाली सूचना के प्रत्येक पृष्ठ पर निम्न मोहर अवश्य अंकित की जाती है :–
"लोक सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन प्रदत्त सूचना
राज्य लोक सूचना अधिकारी ——————
लोक सूचना प्राधिकरण —————— "

2.6 सूचना के अधिकार हेतु सृजित वेबसाईट (www.home.rajasthan.gov.in) पर नियमित रूप से सूचना का इंद्राज किये जाने की पुख्ता व्यवस्था करना । इस हेतु नोडल अधिकारी निर्धारित किया जाकर उसका पूरा ब्योरा (अधिकारी का नाम, पद नाम, ई–मेल पता एवं दूरभाष नम्बर) शासन उप सचिव, गृह (समन्वय) कमरा नं. 1112 मुख्य भवन शासन सचिवालय, जयपुर(ई मेल पता yadav_jagroop @yahoo.co.in) को प्रस्तुत करना । (31.5.07)

लोक सूचना प्राधिकरणों बाबत अपेक्षित ब्योरा उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार नहीं हो पा रहा है। अतः यह अपेक्षित है कि प्रत्येक प्राधिकरण द्वारा परिशिष्ठ – "6" व संलग्न प्रपत्र में सूचना दिनांक 20.05.07 तक अवश्य प्रस्तुत की जावे।

3/5/07
(वी.एस.सिंह)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त लोक प्राधिकरणों की समीक्षा कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
2. समस्त अपील अधिकारी एवं समस्त लोक सूचना अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान (समस्त)।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री जी ।
4. विशिष्ठ सहायक, गृह मंत्री/गृह राज्य मंत्री ।
5. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
6. रक्षित पत्रावली।

(जगरूप सिंह यादव)
शासन उप सचिव, गृह(समन्वय)